सर्वोच्च प्राथमिकता

अतिआवश्यक

No.F.7-09/2026/Exam/ 2906

परीक्षा अनुभाग / Exam Department

केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड

Central Board of Open Schooling and Examination

प्रशासनिक भवनः चतुर्थ तल, प्राइम प्लाजा, इन्दिरा नगर, लखनऊ 226016

दूरभाषः— 0522—4285008 / 0121—4349311

Website/वेबसाइटः www.cbose.com Email Id/ ई–मेलः info@cbose.com/cbose.helpdesk@gmail.com

Date / दिनांकः 11 / 09 / 2026

विधिक आदेश एवं कारण बताओ नोटिस

(बोर्ड नियमावली 2024 के नियम 14(ठ), 22(क) एवं संबद्ध विधिक उपबंधों के अंतर्गत)

प्रति,

1. प्रबंधक / संस्था प्रधान,
 पीजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन
 संबद्धता / संस्था कोडः— 456766
2. सूर्यांशु त्रिवेदी
 पिता का नामः— श्री राज कुमार त्रिवेदी
 माता का नामः— श्रीमती मंजू त्रिवेदी
 अनुक्रमांकः—90796262001
 नामांकन सं.:— 202600050
 जन्म तिथिः— 24—09—2009
 परीक्षाः— माध्यमिक / 10 (सत्र 2026—27, चक्रः— जुलाई 2026)

विषयः— कक्षा 10वीं (माध्यमिक) के परीक्षा परिणाम को तत्काल प्रभाव से स्थगित (WITHHELD) किए जाने, कक्षा 8वीं के फर्जी / अपूर्ण दस्तावेजों, संदेहास्पद UDISE / संबद्धता अभिलेखों के संबंध में कारण बताओ नोटिस एवं आगामी विधिक / दांडिक कार्यवाही हेतु विधिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष की नियुक्ति बाबत।

1. उपरोक्त संदर्भित परीक्षार्थी सूर्यांशु त्रिवेदी (Roll No-: 90796262001, म्दतवससउमदज छव.रू CBOSE202600050) द्वारा केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत सत्र 2026—27 (जुलाई—2026 चक्र) की कक्षा 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को संस्था पीजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन (School Code: 456766) द्वारा नामांकित व अग्रसारित किया गया था।
2. बोर्ड के परीक्षा एवं सत्यापन प्रकोष्ठ द्वारा नामांकन व पूर्व योग्यता अभिलेखों की गहन विधिक व तकनीकी जांच के दौरान निम्नलिखित संज्ञेय विसंगतियां एवं घोर अनियमितताएं पाई गईः—

(क) कक्षा 8वीं के अनिवार्य वैध दस्तावेजों का अभावः– 10वीं कक्षा में प्रवेश/परीक्षा की पात्रता हेतु न्यूनतम विहित योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, परंतु परीक्षार्थी द्वारा कक्षा 8वीं का विधिमान्य उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंकसूची प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ख) PEN (Permanent Education Number) एवं APAAR ID का अभावः– शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा बोर्ड के दिशा–निर्देशों के अनुरूप कक्षा 8वीं के प्रस्तुत अभिलेखों पर राष्ट्रीय स्तर का स्थायी शिक्षा संख्या पूर्णतः नदारद/अनुपलब्ध है, जो दस्तावेजों के गैर–प्रामाणिक होने का प्रत्यक्ष साक्ष्य है।

(ग) संस्था की संबद्धता एवं UDISE कोड पर गंभीर संदेहः– संबंधित संस्था द्वारा प्रस्तुत संबद्धता साक्ष्य, भौतिक आधारभूत संरचना तथा यू–डायस की प्रामाणिकता संदेहास्पद एवं त्रुटिपूर्ण पाई गई है, जिससे संस्था की अग्रसारण वैधता पर प्रश्नचिह्न लगता है।

(घ) सत्यापन दायित्व का आपराधिक उल्लंघनः– संस्था प्रधान एवं प्रबंधन द्वारा बिना मूल अभिलेखों के भौतिक व तकनीकी सत्यापन के परीक्षार्थी का नामांकन बोर्ड को अग्रसारित किया गया, जो बोर्ड नियमावली व नियमों के साथ गंभीर धोखाधड़ी एवं षड्यंत्र का द्योतक है।

3. यह कृत्य केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा बोर्ड **परीक्षा एवं प्रत्यायन नियमावली–2024** के नियम 14(ठ) (प्रवेश पात्रता हेतु अहर्ता अभिलेखों की अनिवार्यता), नियम 22(क) (कदाचार, असत्य कथन व कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर परीक्षा परिणाम रोके जाने व रद्द किए जाने का अधिकार), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत **APAAR/PEN** अनिवार्यता उपबंध तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 (**BNS**) की सुसंगत धाराओं (कूट रचना, धोखाधड़ी एवं असत्य अभिलेख उपयोग) का स्पष्ट एवं दंडनीय उल्लंघन है।

उपरोक्त आधारों, विधिक साक्ष्यों एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित आदेश पारित किए जाते हैंः–

1. **परिणाम स्थगनः–** परीक्षार्थी सूर्यांशु त्रिवेदी (**Roll No-:** 90796262001) का कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम (सत्र 2026–27/जुलाई–2026) तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। जब तक बोर्ड के समक्ष कक्षा 8वीं के पूर्ण, प्रामाणिक, **PEN** एवं **APAAR ID** युक्त मूल अभिलेख विधिवत सत्यापित रूप से प्रस्तुत नहीं किए जाते, तब तक परिणाम पूर्णतः बाधित व अवरुद्ध रहेगा।
2. **संस्था को कारण बताओ नोटिसः– संस्था पीजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन** को निर्देशित किया जाता है कि वह पत्र प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिवस के भीतर यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे कि बिना उचित सत्यापन के यह नामांकन क्यों प्रेषित किया गया तथा संस्था की संबद्धता व **UDISE** कोड की वैधता सिद्ध करने वाले विधिक अभिलेख प्रस्तुत किए जाएं।
3. **विधिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष की नियुक्तिः–** निर्धारित 15 दिवसीय मियाद समाप्त होने के उपरांत, यदि संतोषजनक उत्तर व विधिमान्य दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, तो सक्षम न्यायालय/थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने, संस्था की **मान्यता/संबद्धता** रद्द करने तथा दीवानी/दांडिक अभियोजन की आगामी विधिक कार्यवाही के संचालन हेतु बोर्ड के विधिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को जांच अधिकारी एवं विधिक समन्वयक नियुक्त किया जाता है।

निर्धारित समय–सीमा (15 कार्यदिवस) के भीतर समुचित प्रत्युत्तर एवं सत्यापित मूल अभिलेख बोर्ड को उपलब्ध न कराने की दशा में, यह मान लिया जाएगा कि संस्था एवं संबंधित पक्ष के पास अपने बचाव में कोई वैध तर्क/साक्ष्य नहीं है। तदुपरांत बोर्ड नियमावली के नियम 22(क) के तहत परीक्षार्थी का नामांकन व परीक्षा परिणाम स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा तथा संस्था के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं शिक्षा संविधि के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, जिसका संपूर्ण दायित्व संस्था प्रबंधन का होगा।

भवदीय,

सचिव/अध्यक्ष/कार्यालय सचिव
विधिक अनुभाग
केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड
कार्यालय : चतुर्थ तल, प्राइम प्लाजा, इंदिरा नगर निकट मेशी की पुलिया, लखनऊ-226016
वेबसाइट : www.cbose.com
फोन : 9557351231, 9557361231

परीक्षा नियंत्रक
केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड

प्रष्ठांकन संख्याः– F.7-09/2026/परीक्षा अनुभाग/5966 दिनांकः 11/09/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **अध्यक्ष/सचिव,** केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड
2. **अध्यक्ष, विधिक प्रकोष्ठ**–आगामी विधिक, संविधिक एवं दांडिक कार्यवाही के पर्यवेक्षण हेतु।
3. उप–निदेशक (संबद्धता एवं मान्यता प्रभाग)।
4. आईटी/परिणाम पोर्टल प्रभारी,–परिणाम पोर्टल पर उक्त अनुक्रमांक की स्थिति 'WITHHELD & PENDING VERIFICATION' अद्यतन करने हेतु।
5. संबंधित परीक्षार्थी/अभिभावक–आवश्यक अनुपालनार्थ।
6. गार्ड फाइल/विधिक अभिलेख नस्ती।

सचिव/अध्यक्ष/कार्यालय सचिव
विधिक अनुभाग
केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड
कार्यालय : चतुर्थ तल, प्राइम प्लाजा, इंदिरा नगर निकट मेशी की पुलिया, लखनऊ-226016
वेबसाइट : www.cbose.com
फोन : 9557351231, 9557361231

परीक्षा नियंत्रक
केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड